तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व वाद संख्या 64/2012 अनवान घेवरराम वगैरा बनाम हरिराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट एवं 136 एलआरएक्ट	
11.07.2019	वकुलाय उपस्थिति। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 10 व 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया कि धोकलराम के वख्शीशनामा के जरिए खसरा नम्बर 471/2 की 47 वीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 473/2 की 32 वीघा 11 विस्वा व खसरा नम्बर 473/1/मीन की 1 वीघा 10 विस्वा कुल खसरा 03 कुल रकवा 81 वीघा 18 विस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 हरीराम पुत्र कोजाराम के नाम दर्ज की गई तथा यह वख्शीशनामा दिनांक 24.12.74 को वताया गया। हरीराम ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 471/2 में से 15 वीघा 10 विस्वा भूमि प्रतिवादी मोहनलाल, जालमसिंह, भेपाराम पुत्रगण सुरजाराम को जरिए रजिस्टर्ड वैचाननामें के 01.12.1989 को विक्रय कर दी। इसके अलावा हरिराम ने खसरा नम्बर 473/1/मीन की 1 वीघा 10 विस्वा भूमि जरिए रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.12.1984 को प्रतिवादी मोहनलाल वगैरा को विक्रय कर दी। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 हरीराराम ने 473/2 में से 12 वीघा 11 विस्वा भूमि जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा मोहनलाल, जालमसिंह, भेंपाराम पुत्रगण सुरजाराम व कोजाराम पुत्र सुखराम को दिनांक को दिनांक 01.12.1989 को विक्रय कर दी। जव तक कि रजिस्टर्ड वख्शीशनामा एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड बेचाननामा को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है तव तक यह वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही है क्योंकि वख्शीशनामा बेचाननामा धोखा धड़ी से हुआ या नही यह तथ्य सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है एवं वख्शीशनामा बेचाननामा को निरस्त करने के लिए मियाद भी 03 वर्ष की है। वादीगण द्वारा यह भी रिलीफ चाही गई है कि सम्वत 2029 के वाद जितने भी हस्तान्तरण हुए है, उन्हे वादी के हितो पर निष्प्रभावी घोषित किया जावे लेकिन रजिस्टर्ड वख्शीशनामा एवं बेचान के दस्तावेज ऐज ऐवीनेश्यो वोईड दस्तावेज नही है इसलिए इन्हे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा जव तक निरस्त नही किया जाता तव तक राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की रिलीफ नही दी जा सकती। अतः वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ना होने से खारिज फरमाया जाए। वादीगण (अप्रार्थी) ने जवाब प्रार्थना पत्र दिया जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 471, 473 व 402 मौजा गुडा विश्नोईयान वक्त सेटलमेंट धोकल व साजन पिता अमरा के खातेदारी व कब्जा व काश्त की रही है, जिसमें धोकल ना	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

औलाद फौत हो गया एवं साजनराम के वारिस वादीगण है। धोकलराम का देहान्त सम्वत 2037 में हुआ एवं साजनराम का देहान्त 2045 में हुआ। उक्त दोनो ही खातेदारो ने खसरा नम्बर 471 में से 31 बीघा भूमि हस्तान्तरित कि परन्तु राजस्व रेकर्ड में बेचाननामें से हटकर अंकन कर दिया। विवादित भूमि के बाबत कोई बख्शीशनामा निष्पादित नही हुआ। राजस्व रेकर्ड के अनुसार तमाम इन्द्राज बनावटी व फर्जी है। तथा जब प्रतिवादी हरिराम को विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नही थे तो उसे विवादित भूमि को हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नही रह गया। अतः तमाम हस्तान्तरण वादीगण के हितों पर अपने आप में शून्य व निष्प्रभावी है। वादीगण का वाद धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। इन धाराओं के तहत वाद सुनने का अधिकार केवल व केवल सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को ही है। विवादग्रस्त भूमि का जिस रूप में हस्तान्तरण किया गया है तथा निष्प्रभवी दस्तावेज अपने आप में शून्य है एवं शून्य दस्तावेज को निरस्त करवाने की आवश्यकता विधि अनुसार नही है। वादी ने अपने वाद पत्र में दस्तावेजों को निरस्त करवाने की मांग नही की है। अतः वादी का वाद इस स्तर पर खारिज किए जाने योग्य कतई नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाए। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 2) ने लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने अपने वाद पत्र में पृष्ठ संख्या 5 पर उल्लिखित किया है कि बख्शीशनामा पूर्ण रूप से फर्जी है अतः एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के कूटरचित होने या ना होने के निर्धारण का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वादीगण (अप्रार्थी) ने अपनी बहस में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ऐसा कोई बख्शीशनामा कभी नही हुआ है। तथा प्रस्तुत वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम का है। अतः विधिक वारिसानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है अतः श्रवणाधिकार इसी न्यायालय को है। वाद पत्र के पृष्ठ संख्या 04 व इस्तदुआ से भी यह स्पष्ट है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाए। वादी ने अपने तर्को के पक्ष में " Jadwant singh v/s Board of revenue (96) (RRD1984 पेज 280) व Dugalal Lal V. Baba pwamhaus Jogeshwan Mahadev Ka Mandia – 82 (RRD 1985 P. 274) की नजारें प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस व नजीरों पर मनन किया गया। वादीगण धोकल पिता अमरा के भाई साजन पिता अमरा के पुत्र व पुत्रीयां है। इस प्रकार वादीगण धोकल पिता अमरा के प्रथम श्रेणी वारिसान नही है ना ही उनका किसी प्रकार का सहदायिक अधिकार उत्पन्न होता है। वाद पत्र के पैरा 5 में उल्लिखित किया है कि " धोकलराम लाऔलाद फौत हो गए थे। धोकलराम व साजनराम दोनो भाई सामलाती रहते थे व साथ में खेती करते थे। इसलिए विधि अनुसार धोकलराम के फौत होने पर उत्तराधिकार के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी। वादीगण चुंकि प्रथम श्रेणी के वारिसान नही है अतः धोकलराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

द्वारा अपनी भूमि जीवित रहते हस्तान्तरण नही करने तथा निर्वसीयत फौत होने पर ही इनके अधिकार उत्पन्न होते। परन्तु धोकलराम द्वारा अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड बख्शीशनामा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किया, जिसे शून्य करवाए बिना वादीगण के उक्त भूमि पर अधिकार प्रोदभूत नही होते। वादीगण ने वाद पत्र में बख्शीशनामें को कूटरचित बताया व उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में ऐसे किसी बख्शीशनामे के होने से ही इन्कार किया। उक्त बख्शीशनामे की प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

प्रस्तुत नजीर Jadwant singh v/s Board of revenue (96) के अनुसार Revenue court had jurisdiction to try suit and could declare that such sale deed. Not in existence and a nonest one'' इस वाद में बख्शीशनामा अस्तित्व में है अतः उक्त नजीर यंहा भिन्न परिस्थितियां होने से लागू नही होती। किः– while considering jurisdiction of the court one has to see that which is the main relief and thereafter the jurisdiction of the court should he decided .' प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी संख्या 01 के नाम विवादित भूमि बख्शीशनामें से आई है, जिसे निरस्त करवाए बिना वादीगण के खोतदारी अधिकार, प्रथम श्रेणी वारिसान व सहदायिक ना होने से, प्रोदभूत नही होते अतः प्रस्तुत वाद में मुख्य रिलीफ उक्त बख्शीशनामें का निरस्तीकरण है और रजिस्टर्ड बख्शीशनामें को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से प्रस्तुत वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नही है।

अतः अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 2) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner